

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेस विज्ञापित

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन।

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर, फुलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका, मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पलामू तथा शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हजारीबाग के विभिन्न विभागों में विभागवार प्राध्यापक के रिक्त पदों पर **Walk-In-Interview** के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

विभागवार प्राध्यापक पद की रिक्ति की विवरणी निम्नांकित है जो अधिक/कम हो सकती है:-

क्र०सं०	विभाग का नाम	प्राध्यापक			
		कुल रिक्ति	UR	ST	SC
1	एनाटोमी	5	3	1	1
2	फिजियोलॉजी	3	2	0	1
3	बायोकेमेस्ट्री	2	1	1	0
4	पैथोलॉजी	4	2	1	1
5	माइक्रोबायोलॉजी	3	2	1	0
6	एफ0एम0टी0	4	3	1	0
7	फार्माकोलॉजी	2	1	1	0
8	पी0एस0एम0	2	1	1	0
9	औषधि	3	2	0	1
10	शिशु रोग	5	4	1	0
11	सर्जरी	3	2	0	0
12	अस्थि	3	3	0	1
13	ई0एन0टी0	5	4	1	0
14	नेत्र	4	3	1	0
15	स्त्री एवं प्रसव	1	1	0	0
16	निश्चेतना	2	1	0	1
17	रक्त अधिकोष	3	2	1	0
18	दन्त	2	1	1	0
Total		56	38	12	6

- अर्हता :- प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु एम0सी0आई/एन0एम0सी0 के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वांछित अनुभव लागू होगा।
- चयन का आधार :- **Walk-In-Interview** के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु गठित चयन समिति द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत तत्संबंधी अभिलेखों की जाँच की

जायेगी। तदनुसार विभागवार रिक्ति के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा की जायेगी।

4. नियुक्ति की शर्तें :-

- a) प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने के लिए एम0सी0आई/एन0एम0सी0 के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वांछित अनुभव संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
- b) चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर पदधारकों को समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- c) चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्राध्यापक के पद पर संविदा आधारित सेवाएँ अधिकतम 02 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति, जो पहले हो, तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक होगी।
- d) 02 वर्ष की संविदा अवधि की समाप्ति के उपरान्त उनके Performance का मूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने पर आगामी वर्षों हेतु एक बार में एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।
- e) संविदा आधारित यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी एवं संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भविष्य में नियमित नियुक्ति एवं अन्य सुविधाओं का दावा नहीं किया जायेगा।
- f) अवकाश :- संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
- g) किसी चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक का स्थानांतरण किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में नहीं किया जायेगा।
- h) सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक के उतने ही पद इस व्यवस्था से भरे जायेंगे जितना नितान्त आवश्यक होगा। इन पदों पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आरक्षण प्रतिशत का अनुपालन किया जायेगा।
- i) वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आधार पर मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए गए निर्ण के अनुसार संविदा राशि निर्धारण के संबंध में विभागीय संकल्प-407 (9) दिनांक 02.09.2021 एवं विभागीय अधिसूचना 357 (9) दिनांक 30.07.2024 के आलोक में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त पद धारक को मानदेय- प्राध्यापक **2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये)** देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता या सुविधा देय नहीं होगा।

5. अधिकतम उम्र सीमा :- संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा सभी वर्गों के लिए 70 वर्ष होगी।

6. रिक्त पदों पर वाक-इन-इन्टरव्यू रिम्स, राँची के प्रशासनिक भवन में निम्नांकित तिथियों में सम्पन्न होगा :-

क्र०सं०	पदनाम	दिनांक	समय
01	प्राध्यापक	03.08.2026	पूर्वाह्न 10:30 बजे से

7. सभी इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट :- www.jharkhand.gov.in/health के अन्तर्गत **Recruitment** पर दिये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ पूर्णरूपेण भर कर, सभी मूल प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ वाक-इन-इन्टरव्यू आयोजन की तिथि पर ससमय भाग लेंगे।
8. इस विज्ञापन को स्थगित करने, किसी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं रिक्ति के अवशेष रहने की अवस्था में पुनः विज्ञापन प्रकाशित करने का सर्वाधिकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सुरक्षित रहेगा।

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा,
झारखंड, राँची

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
नेपाल हाउस, राँची – 834002

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के प्राध्यापक के रिक्त पदों पर Walk-In-Interview के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदित पद / विभाग का नाम :-

2. आवेदक का नाम :-

(क) हिन्दी में :-

(ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में :-

3. पिता/पति का नाम :-

4. जन्म तिथि : (अंक में) (शब्द में)

5. स्थायी पता : ग्राम / मोहल्ला पोस्ट :-

थाना :- जिला :- राज्य :- पिन कोड :-

6. पत्राचार का पता : वर्तमान पता/मोहल्ला पोस्ट :-

थाना :- जिला :- राज्य :- पिन कोड :-
..... मो०नं० ई-मेल :-

7. आरक्षण कोटि :- (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.सं.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	एम०बी०बी०एस०					
2	एम०डी० / एम०एस० / डी०एन०बी० / डिप्लोमा इत्यादि					
3	अन्य प्रमाण पत्र					

9. आवेदक सभी प्रमाण पत्रों की स्वाभिप्रमाणित प्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

10. आरक्षण का दावा हेतु सक्षम स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

स्वहस्ताक्षरित फोटो
चिपकाएं

11. अनुलग्नकों की सूची :-

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.
- I.
- J.

घोषणापत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में उल्लेखित सभी विवरणी सत्य है। किसी प्रकार की गलत सूचना एवं अनुमान्य अर्हता / अनुभव नहीं पाये जाने पर आवेदन अस्वीकृत करने या किसी भी निर्णय के लिये चयन समिति, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग सक्षम होगा तथा जो मुझे स्वीकार होगा।

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक :-